

कॉनकॉर – निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी
(सीएसआर एंड एस) पॉलिसी

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं व्यावहारिकता:

1.1 कॉनकॉर की यह पॉलिसी कॉनकॉर के दर्शन को समेटे हुए है जो कि निगमित नागरिक के नाते निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में समाज के कल्याण और स्थाई विकास के लिए उपयोगी गतिविधियों को शुरू करने के लिए बनाई गई हैं। कॉनकॉर की यह पॉलिसी अपने सामाजिक दायित्वों और स्थायित्व की अनुपालना की ओर है तथा इसका शीर्षक है- **कॉनकॉर – सामाजिक निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी (सीएसआर एंड एस) पॉलिसी**। संक्षिप्त में इसे सीएसआर पॉलिसी नाम दिया गया है। सीएसआर पॉलिसी का कोई एक अथवा सभी प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्मित नियमों, डीपीई दिशानिर्देशों तथा अन्य विनियमों के अनुसार होंगे। इसके साथ सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए इन कानूनों/ दिशानिर्देशों/विनियमों में हुए बदलाव/ संशोधन/ सुधार इन पर लागू होंगे।

1.2 कॉनकॉर सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की अपनी अभिलक्ष्यों के अनुसार सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अपने आंतरिक और बाहरी स्टैक होल्डरों के लिए व्यावसाय में सक्रीय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी का सीएसआर क्षेत्र इसके मिशन, उद्देश्यों, व्यावसायिक लक्ष्यों, योजनाओं और कार्यनीतियों के अनुसार है।

1.3 कॉनकॉर की यह पॉलिसी कॉनकॉर द्वारा शुरू की गई उन सभी गतिविधियों पर लागू होती है जो समाज के विभिन्न वर्गों विशेषतः वंचित वर्ग, सुविधाहीन, विकलांगों, समूहों और संस्थाओं आदि के लिए चलाई गई है। अतः कॉनकॉर की सभी गतिविधियां कॉनकॉर की सीएसआर पॉलिसी के अनुसार ही शुरू की जाएंगी। कंपनी की सीएसआर गतिविधियां में कंपनी के सामान्य व्यावसायिक कार्य, कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवार के हितों से संबंधित गतिविधियां सम्मिलित नहीं की जाएंगी।

1.4 कंपनी की सीएसआर पॉलिसी, कंपनी की सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों में सस्टेनेबिलिटी के माध्यम से स्थाई विकास को इस ढंग से उन्नत बनाया जाए कि जिससे व्यवसाय एवं समाज दोनों के लिए लाभकारी बने ऐसा मानना है कि सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी पहलों का स्वरूप एक ही है तथा दोनों का उद्देश्य सस्टेनेबिलिटी विकास होने के कारण ये एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। अपने

सस्टेनेबिलिटी के भाग के रूप में कॉनकॉर अपने मुख्य धारा की गतिविधियों के साथ-साथ पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी को महत्व देगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि इससे उनके आंतरिक परिचालन और प्रक्रिया में अक्षय ऊर्जा के स्रोत को बढ़ावा मिले तथा सप्लाई चेन को हरित बनाने के लिए अनुपयोगी सामग्री को कम करने/दोबारा प्रयोग करने / रि-साइकिल करने, भू-जल स्तर उठाने , जल की सुरक्षा/संचय/,पर्यावरण को अनुकूल बनाने, कार्बन उत्सर्जन में कमी करना इसकी गतिविधियां हैं। कर्मचारियों मुख्यतः महिलाओं,विकलांगों और समाज के वंचित वर्ग हेतु कल्याणकारी कदम उठाना भी इन सस्टेनेबिलिटी गतिविधियों में शामिल है।

2. विजन एवं मिशन

- 2.1 कॉनकॉर का मिशन अपने व्यावसायिक सहभागियों और स्टैकहोल्डरों के साथ मिलकर कॉनकॉर को उत्कृष्ट गुणवत्ता की कंपनी बनाना है। अपने व्यावसायिक सहभागियों के सक्रिय सहयोग से तथा लाभप्रदता एवं वृद्धि सुनिश्चित करके अपने ग्राहकों को अनुक्रियाशील,लागत प्रभावी, दक्ष और विश्वसनीय संभारतत्र साधन उपलब्ध कराकर हम अवश्य ही ऐसा कर पाएंगे। हम अपने ग्राहकों की पहली पसंद बने रहने के लिए प्रयासरत हैं। हम अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध हैं और हम पर जो विश्वास रखा गया है, उस पर खरे उतरेंगे।
- 2.2 कॉनकॉर के मिशन के अनुरूप, इसके सीएसआर पहलों का लक्ष्य भी सहयोगियों में कॉनकॉर की ख्याति अर्जित करना है। एक जिम्मेदार निगमित कंपनी की सकारात्मक सामाजिक छवि में वृद्धि करने में सीएसआर गतिविधियां सहायक हैं। कॉनकॉर अपने व्यावसायिक आचार में सर्वोत्तम मानकों का अनुसरण करेगी तथा स्टैकहोल्डरों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए पारदर्शी रहेंगी और मितव्ययता,सामाजिकता,पर्यावरणीय अनुकूलता अपनाकर व्यावसाय करेगी। कर्मचारी,निवेशक,शेयरधारक,ग्राहक,व्यावसायिक सहयोगी, क्लाइंट्स, सिविल सोसायटी ग्रुप,सरकारी और गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, और पर्यावरण और अंत में पूरा समाज भी स्टैकहोल्डर शब्द में सम्मिलित हैं।
- 2.3 कॉनकॉर की सीएसआर पहले सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की बहुत जरूरी आवश्यकताओं पर आधारित होती है। कॉनकॉर की सीएसआर के लिए चिन्हित राशि के प्राजेक्ट भारत में ही चलाए जाते हैं और प्राथमिकता उन स्थानीय क्षेत्रों को दी जाती है जो कॉनकॉर के परिचालन क्षेत्र के आसपास होते हैं और विशेषतः उन राज्यों में जहां कॉनकॉर ढाचागत

विस्तार कर रहा होता है। कुछ समय के पश्चात स्थानीय जनता के जीवन स्तर में वृद्धि एवं आर्थिक संपन्नता जैसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की दिशा में यह हमारा प्रयास है। इन स्थानों पर सीएसआर गतिविधियां चलाएं जाने से संसाधनों का मोबलाइजेशन एवं नियमित मॉनिटरिंग होती है तथा आसपास के लोगों ,पर्यावरण तथा अन्य स्टैकहोल्डरों से जुड़ने का अवसर भी मिलता है।

- 2.4 कॉनकॉर की सीएसआर पॉलिसी में लोकल एरिया का अर्थ है, कंपनी की इकाई/टर्मिनल से 200 कि.मी. तक का क्षेत्र शामिल है। । लोकल एरिया को प्राथमिकता देने के बाद, कंपनी देश के किसी भी अन्य स्थान पर सीएसआर गतिविधियां चला सकती है। लोकल एरिया और बाहरी एरिया में सीएसआर गतिविधियों पर किए जाने वाले खर्च का निर्देशात्मक अनुपात क्रमशः 80 और 20 प्रतिशत का है।

3. सीएसआर कार्यों का क्षेत्र

कॉनकॉर अपने स्टैकहोल्डरों के लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकलाप करेगा जिनमें समाज और पर्यावरण स्थायित्व के समग्र विकास के प्रोजेक्ट पर अधिक जोर दिया जाएगा। कॉनकॉर की सीएसआर गतिविधियों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा:-

- (i) भूख, गरीबी और कुपोषण के उन्मूलन, हैल्थ केयर और साफ सफाई को बढ़ावा देते हुए पीने के शुद्ध पानी की उपलब्धता सहित केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोश में सहयोग देना।
- (ii) स्पेशल एजुकेशन और रोजगारपरक व्यावसायिक कौशल की शिक्षा का बढ़ावा देना जिनमें मुख्यतः बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, विकलांगों के जीवन स्तर में वृद्धि के प्रोजेक्ट है।
- (iii) लिंग समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए घर एवं होस्टल का निर्माण, वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर, सहित इसी तरह की दूसरी सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कराना। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार वर्गों के लिए असमानता के अवसरों को कम करना ।

- (iv) पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित करना, परिस्थितिक संतुलन, वनस्पति और जीव सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मिटटी, हवा और पानी की गुणवत्ता का अनुरक्षण सहित गंगा नदी के कायाकल्प हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ गंगा कोश में सहयोग।
- (v) ऐतिहासिक महत्व के भवनों एवं स्थलों के जीर्णोद्धार सहित राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति की सुरक्षा, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, पारंपरिक कला एवं शिल्प कला को बढ़ावा एवं उसका विकास।
- (vi) सशस्त्र बलों के वयोवृद्ध सदस्यों, युद्ध में शहीदों की विधवाओं और उनके आश्रितों के हितों लिए उपाय करना।
- (vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त खेल, पैरा ओलंपिक खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना।
- (viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोश अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी भी कोश में सहयोग देना।
- (ix) केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी ज्ञान सहेजने वाली शैक्षिक संस्था को सहयोग अथवा धनराशि प्रदान करना।
- (x) ग्रामीण विकास की परियोजनाएँ
- (xi) दूसरी परियोजनाएँ जो कानूनन एवं सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुमति प्राप्त हों।

4. योजना एवं कार्यप्रणाली

- 4.1 पूरे देश में स्थित कॉन्कॉर के 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन क्षेत्रों के अपने व्यवसाय क्षेत्र, अवसंरचना एवं नेबरहुड हैं। तालमेल बैठाने के लिए यह आवश्यक है कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु स्टैकहोल्डरों से आवश्यक जानकारी लेकर केंद्रीयकृत तरीके से सीएसआर परियोजनाओं को संकल्पित करें।

4.2 कॉनकॉर अपनी सीएसआर गतिविधियों में इस तरह से तालमेल रखेगी कि जिससे राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की पहलों को सुविधाएं प्राप्त होने के साथ-साथ केंद्र सरकार के विभागों/संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों को सह-निर्माण महत्व के माध्यम से स्थानीय लोगों को लैंगिक सर्वेदनशीलता, कौशल वृद्धि, उद्यमशीलता का विकास, रोजगार सृजन की सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर सकें। हालांकि कॉनकॉर एक सीमा तक दोहरे प्रयासों से बचेगा। कॉनकॉर की सीएसआर पॉलिसी कंपनी अधिनियम 2013 के नियमों के अनुरूप तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों और समय समय पर संशोधित सरकारी नियमों एवं विनियमों, लागू कानूनों के अनुरूप बनाई गई है। अन्य सीपीएसई जिनकी मापन और अधिक से अधिक सामाजिक प्रभाव है, कॉनकॉर उनके संसाधनों को अपनाकर संयुक्त उद्यमों के माध्यम से अपनी सीएसआर गतिविधियों को चलाने के लिए इस दिशा में भी कार्य कर रहा है। भविष्य में जरूरत के अनुसार लघु, मध्यम और दीर्घ कालीन अवधि के सीएसआर प्रोजेक्ट करने की योजना बनाई जाएंगी।

5. निगमित संरचना

- 5.1 कंपनी के सीएसआर एजेंडे को मूर्त रूप देने और चलाई गई गतिविधियों के प्रबंधन हेतु यहां 2 टायर सिस्टम है। इस सिस्टम में, टायर-I (अपेक्स कमेटी) 3 सदस्यों की बोर्ड लेवल कमेटी होती है। टायर-II कमेटी (एक्जिक्यूटिव कमेटी) बोर्ड लेवल से नीचे की होती है। टायर- I कमेटी का नामांकन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें एक अनिवार्य स्वतंत्र निदेशक सहित 3 निदेशक होंगे। टायर -II कमेटी और इसके सहायक कार्यपालकों का नोमिनेशन कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करेंगे। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इसके मुखिया के रूप में तथा 2 अन्य अधिकारी इस कमेटी में सम्मिलित होंगे। टायर -II कमेटी के दफ्तरी कार्य में सहायता के लिए एक प्रबंधकीय स्तर का अधिकारी होगा। टायर -II कमेटी यदि चाहे तो किसी विशेष प्रोजेक्ट/गतिविधियों के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा बाहर से विशेषज्ञ का चुनाव कर सकती है। सीएसआर गतिविधियों को मूर्त रूप देने के लिए एक या एक से अधिक समर्पित कार्यपालक होंगे।
- 5.2 टायर -I कमेटी की अनुशंसा पर कंपनी की सीएसआर पॉलिसी का अनुमोदन निदेशक मंडल देगा। कंपनी का बोर्ड ये सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर गतिविधियों में सम्मिलित किए गए प्रोजेक्ट, कंपनी की सीएसआर पॉलिसी के अनुरूप हो।

- 5.3 सीएसआर पॉलिसी को तैयार करना, होने वाले खर्च की अनुशंसा, सीएसआर पॉलिसी की समय-समय पर मॉनिटरिंग करके इसकी अनुशंसा, टीयर –I कमेटी निदेशक मंडल को देगी। यह कमेटी सीएसआर पॉलिसी के कार्यान्वयन तथा मॉनिटरिंग और कंपनी की दूसरी संबंधित गतिविधियों की देखरेख करेगी। कंपनी के सीएसआर एजंडे को अपेक्षित दिशा देने के लिए उपयुक्त पॉलिसी और कार्यनीति तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करेगी।
- 5.4 कंपनी की सीएसआर पहलों में समन्वय की सुविधा, सीएसआर प्रोजेक्ट के डाक्यूमेंटेशन तथा वार्षिक बजट को तैयार करने में टीयर –II कमेटी सहायता करेगी। कंपनी के अंदर तथा बाहर सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन में पहल और देखरेख करेगी। सहायक कंपनियों और अपने फील्ड स्तर के कार्यपालको से मदद लेकर सीएसआर प्रोजेक्टों की प्रोग्रेस और कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग का कार्य टीयर –II कमेटी करेगी तथा जरूरत के अनुसार उसी ढंग से उचित दिशानिर्देश टीयर –II कमेटी द्वारा दिए जाएंगे।

6. बजट व्यवस्था :

- 6.1 वर्ष के दौरान सीएसआर पहलों पर विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले का खर्च विवरण देते हुए टीयर-I कमेटी सीएसआर वार्षिक बजट की अनुशंसा करेगी तथा इसे कंपनी के निदेशक मंडल को इसके अनुमोदन हेतु भेजेगी।
- 6.2 सीएसआर कार्यक्रमों के सार्थक एवं स्थायित्व कार्यान्वयन के माध्यम से इस पॉलिसी के सीएसआर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, कॉनकॉर लगातार 3 गत वित्तीय वर्षों के अपने शुद्ध औसत लाभ का 2 प्रतिशत प्रत्येक वित्त वर्ष में सीएसआर कार्यों पर खर्च करने के लिए आबंटन करेगी । कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 135 के अंतर्गत शुद्ध औसत लाभ की गणना की जाएगी। शुद्ध औसत लाभ की प्रतिशतता कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान एवं अन्य लागू विनियमों अथवा सरकार के दिशानिर्देशानुसार पर निर्भर करती और कभी भी परिवर्तित हो सकती है। सीएसआर प्रोजेक्ट में जो अधिशेष प्राप्त होगा वो कॉनकॉर के व्यावसायिक लाभ के रूप में एकत्रित नहीं होगा।
- 6.3 सीएसआर गतिविधियों पर हुए खर्च का 2 प्रतिशत तक की धनराशि अपने कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु एक वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत कॉनकॉर द्वारा की जा सकती है।

- 6.4 निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, सीएसआर बजटरी हैड में खर्च की जाने वाली राशि में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की मंजूरी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दे सकते हैं तथा 20 से ज्यादा और 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की मंजूरी टीयर-I कमेटी देगी बशर्ते कि यह वृद्धि कंपनी के समग्र सीएसआर बजट के अंदर हो। सीएसआर बजटरी हैड में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि अथवा कंपनी के समग्र सीएसआर वार्षिक बजट में वृद्धि होने पर निदेशक मंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- 6.5 कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या सरकार द्वारा लागू दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट है कि अगर किसी वर्ष विशेष में सीएसआर आवंटन खर्च नहीं होता है या अप्रयुक्त होता है तो उसका कंपनी नियम के तहत खुलासा या निपटारा किया जाएगा। किसी वर्ष विशेष में सीएसआर की राशि खर्च नहीं हुई है तो वह राशि अगले साल उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अग्रेषित की जाएगी जिनके लिए वह राशि आवंटित की गई थी।

7. मूल्यांकन और परियोजना का अनुमोदन

- 7.1 खंड 3 में परिभाषित क्षेत्रों के अंतर्गत सभी सीएसआर पहले निगमित कार्यालय, क्षेत्रों या एजेंसियों जो परियोजना को कार्यान्वित कर रही हैं को भेजा जाएगा, निम्न का मूल्यांकन और विशेष जांच टीयर-II कमेटी द्वारा होगी:
- (क) व्यापक उद्देश्यों की अनुरूपता के लिए कंपनी की सीएसआर नीति के पहल क्षेत्र डीपीई द्वारा अनुमोदित रेल मंत्रालय के साथ कंपनी द्वारा एमओयू हस्ताक्षरित होगा।
- (ख) मूल्यांकन और आधारभूत सर्वेक्षण टीयर-II कमेटी के सदस्यों द्वारा अथवा/एवं कॉन्कॉर क्षेत्र के अधिकारियों अथवा/एवं इसकी सहायक कंपनियों के अधिकारियों अथवा/एवं एक स्वतंत्र ख्याति प्राप्त तृतीय पक्ष अथवा/एवं एजेंसी जो की परियोजना को कार्यान्वित कर रही है के द्वारा किया जाएगा पर इसकी जांच कंपनी के अधिकारी करेंगे।
- (ग) सभी तरह के पर्याप्त दस्तावेजों की उपलब्धता जिससे की कार्य करने वाली एजेंसी की पहचान सिद्ध हो सकें। उपक्रम में इसी तरह के कार्यक्रम व परियोजनाओं को करने का तीन साल का ट्रैक रिकॉर्ड साथ ही, इनके कामकाज के सबूत के माध्यम से एजेंसियों को क्रियान्वित करना, प्रमाणित वित्तीय

बयान, सिफारिश पत्र/पुरस्कार अगर कोई है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इसी तरह की परियोजनाएं/सरकारी निकायों और अन्य प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की संस्थाओं से प्राप्त हो।

- (घ) कॉनकॉर सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत अन्य कंपनियों का सहयोग कर सकता है। सामाजिक और पर्यावरण या अन्य परियोजनाओं के निष्पादन में शामिल सभी केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों, अर्ध सरकारी अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ङ) कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय समय पर जारी अन्य विनियमों/दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।
- 7.2 अलग-अलग प्रस्ताव की उपयुक्तता और मूल्यांकन के बाद, टीयर-II कमेटी की सिफारिश, निष्पादन, वितरण आदि के अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया जाएगा नीचे उल्लेखित है:-

- (क) निदेशक मंडल से स्वीकृत सीएसआर बजट हैड के अंतर्गत 3.0 करोड़ रुपये तक की राशि के प्रस्तावों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- (ख) निदेशक मंडल से स्वीकृत सीएसआर बजट शीर्ष के अंतर्गत 3.0 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के सभी प्रस्तावों को सीएसआर की टीयर-I कमेटी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- (ग) वे सभी प्रस्ताव जो अनुमोदित सीएसआर बजट हैड में सम्मिलित नहीं हैं, उनके लिए निदेशक मंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

8. पहलों की रिपोर्टिंग एवं समीक्षा :

- 8.1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में टीयर-I समिति परियोजनाओं की गतिविधियों के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट, सूचना तथा आवश्यक दिशा-निर्देश निदेशक मंडल को प्रस्तुत करेंगे तथा टीयर-II कमेटी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित एपेक्स समिति को नियमित अंतराल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- 8.2 टीयर-II कमेटी आवश्यकता अनुसार कभी भी किसी भी सीएसआर कार्य के प्रभावी आकलन अध्ययन की व्यवस्था स्वयं अथवा स्वतंत्र पेशेवर तृतीय पक्ष/पेशेवर संस्था अथवा कार्य करने वाली संस्था जिससे भी /जिस ढंग से भी करवा सकती है। जब क्षेत्रीय कार्यालय/ईकाई इसमें शामिल होगी तो वे

प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करेंगी तथा लाभार्थियों से प्रतिपुष्टि लेंगी। प्रोजेक्ट समाप्ती और उसके आकार के आधार पर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग/मूल्यांकन कंपनी करेंगी। प्रत्येक वर्ष के सीएसआर बजट का 25 प्रतिशत या 5 करोड़ से अधिक या जो भी ज्यादा हो का प्रत्येक सीएसआर गतिविधि या प्रोजेक्ट का प्रभावी आकलन अध्ययन बाहरी कार्यान्वयन संस्था/दूसरी संस्था द्वारा किया जाएगा।

- 8.3 बोर्ड अपनी रिपोर्ट में विवरण के रूप में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट सम्मिलित करेगा जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 एवं लागू नियम मुख्यतः होंगे। बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर नीति की सामग्री को शामिल करेगा और सीएसआर समिति की संरचना को प्रस्तुत करेगा। सीएसआर नीति की सामग्री को बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सकता है तथा इसे विशेष रूप से कॉनकॉर वेबसाइट पर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, कॉनकॉर किसी भी संविधि एवं लागू सरकार के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवश्यकता के रूप में अनुपालन हेतु प्रकट एवं कार्यान्वित कर सकता है।
- 8.4 टीयर-II कमेटी प्रोजेक्टों की समीक्षा करेगी और यदि जरूरत हुई तो प्रोजेक्ट बंद करने अथवा बीच में छोड़ देने की अनुशंसा टीयर-I कमेटी को की जाएगी। चल रहे प्रोजेक्टों की समीक्षा में उनके समय अवधि बढ़ाने/अतिरिक्त फंड की मंजूरी, मैरीट के आधार पर टीयर-I कमेटी के अनुमोदन हेतु अनुशंसा कर सकती है।

9. कार्यान्वयन एवं निष्पादन एजेंसी/भागीदार

- 9.1 सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार, गैर सरकारी संगठन, पीएसयू, निजी कंपनियों, पंचायतों, ट्रस्टों, स्वयं सहायक समूह, महिला मंडल, व्यावसायिक परामर्श संगठन, स्कोप, एवं इन एजेंसियों आदि द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ उपयुक्त भागीदारी के माध्यम से किया जा सकता है। यथा संभव कॉनकॉर जनशक्ति केवल निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए।

- 9.2 कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत कंपनी की टीयर-II कमेटी परियोजनाओं की पहचान, कार्यान्वयन की व्यवस्था तथा इसके मॉनिटरिंग का कार्य करेंगी। यह नियमित रूप से विभिन्न परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करेगी परियोजनाओं से संबंधित कार्यों हेतु मार्गदर्शन भी करेंगी

9.3 परियोजनाओं की पहचान करते हुए, बाहरी एजेंसी की पहचान की जाएगी जिसके द्वारा इस कार्य का कार्यान्वयन किया जाएगा। गैर सरकारी संगठनों / स्वैच्छिक संगठनों द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन के मामले में, निम्नलिखित मापदंडों को सुनिश्चित किया जाए -

क) इसका भारत में एक कार्यालय / पता हो।

ख) यह कानूनी रूप से एक पंजीकृत संस्था हो।

ग) इनके पास पैन नम्बर हो तथा इनके लेखा खाते नियमित रूप से लेखा परीक्षित होते हो।

घ) इसका पूर्ववर्त जॉच योग्य// पुष्टि के अधीन हो।

ड) परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का कम से कम तीन साल के रिकॉर्ड/दस्तावेज हो।

9.4 सीएसआर नीति से संबंधित उचित दस्तावेज जिसमें क्रियान्वित करने वाले पार्टनर, परियोजना का विवरण, व्यय आदि हो, का रखरखाव नियमित आधार पर हो एवं लेखा परीक्षा या मॉनिटरिंग हेतु जब भी आवश्यकता हो, उपलब्ध हो।

9.5 परियोजना के अनुमोदन के पश्चात, एमओयू और मॉडल करार के अनुसार क्रियान्वित / कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के साथ एक करार या समझौता ज्ञापन किया जाएगा। समझौता ज्ञापन में परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन और कार्यान्वयन संबंधी अनुसूची निर्दिष्ट की जाएगी। इसमें कार्यक्रम या परियोजनाओं की मॉनिटरिंग भी शामिल होगी।

सीएसआर पहल के मामले में 5 लाख रुपये से कम के योगदान में, लाभार्थी संगठन को दो प्रतियों में नियम और शर्तों के साथ अवार्ड पत्र जारी किया जाएगा तथा दो प्रतियों में नियमों और शर्तों की स्वीकृति का पत्र लिया जाएगा।

10. सामान्य

10.1 सीएसआर नीति से संबंधित प्रावधानों पर किसी प्रकार के संदेह होने पर तथा किसी ऐसे मामले में जो इसके अंतर्गत नहीं हो, तो ऐसे में टीयर -1 कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।

10.2 कंपनी के पास सीएसआर नीति में निहित प्रावधानों में संशोधित, रद्द, जोड़ने या कौन्कॉर के निदेशक मंडल तथा टीयर-1 कमेटी की सिफारिशों और अनुमोदन के साथ संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
